

बुले मुण्डेर देते न्योता, न जो बन्द किया हमने तो फिर कबना पड़ेगा जीवन से अमझौता



**प्रदूषण
से बचाव**



**पेयजल गन्दा
होने से बचावे**



**दुर्घटना
से बचाव**



**जल
संग्रह**



**उपयोग में
लेने में आसानी**

**कुआ एवं पानी का स्रोत बुला ना रखें
कुएं की मुण्डेर/सुरक्षा दीवार बनाएं ताकी जन-जीवन सुरक्षित रहे।**

जनहित में जारी:

हेल्प लाइन नं.

15100

9928900900

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

Phone : 0141-2227481, Fax : 2227602

Email: E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

website

www.rlsa.gov.in